पर छोड़ दिये गये थे। एक बन्दूक, एक रिवाल्वर और कुछ गोलियां उन के पास से पाई गई कही जाती है।

(ग) पुलिस ने इन दोनों से पूछ ताछ की थी और उस आफिसर से भी जिस की निजी कार में यह सारा सामान पाया गया कहा जाता है। और इन के विरुद्ध नई दिल्ली के स्थानीय मैजिस्ट्रेट के न्यायालय मे कार्यवाही भी शुरू कर दी है।

†[THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI V. K. KRISHNA MENON): (a) Yes, Sir.

(b) One military craftsman and one civilian vehicle mechanic were arrested by the civil police and subsequently released on bail. One Rifle, one Revolver and some rounds of ammunition are alleged to have been recovered from them.

(c) The police interrogated these two individuals as well as an army officer in whose private car the material is alleged to have been recovered and have instituted prosecution proceedings against them in the Court of a Resident Magistrate, New Delhi.]

दिल्ली के पुलिस थानों में रिपोर्टों का दर्ज किया जाना

५९. **श्री नवाबसिंह चौहान** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि दिल्ली में पुलिस थानों को बिला लिहाज अपने अधिकार क्षेत्र के रिपोर्टें दर्ज करने की हिदायत दी गई है ? यदि हां, तो ऐसी हिदायतें जारी करने का क्या कारण है ?

†[RECORDING OF REPORTS AT DELHI POLICE STATIONS

59. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state whether it is a fact that the police stations in Delhi have been instructed to record reports irrespective of whether they come within their jurisdiction or not? If so, what is the reason for the issue of such instructions?]

गृह-कार्य मंत्री (श्री गोविन्द बल्लभ पन्त) : अधिकार क्षेत्र निश्चित न होने की वजह से हाल ही में एक मामले में पुलिस थाने में दर्ज की गई रिपोर्ट पर कार्यवाही करने में देर हुई। इस प्रकार की देर भविष्य में न हो इसलिये हिदायतें जारी की गई हैं।

†[THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI GOVIND BALLABH PANT): Recently a case occurred in which there was some delay in taking action on a report registered at a Police Station on account of jurisdictional uncertainty. Instructions have been issued to avoid such delays in future.]

राइफल क्लबों में राइफल ट्रेनिंग

६०. **श्री नवाबसिंह चौहान** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राइफल क्लबों में हथियारों के लाइसेंसदारों के परिवारों के गैर-लाइसेंसदार लोगों को राइफल चलाने की ट्रेनिंग देने का निषेध है ;

(ख) यदि हां, तो इस निषेध का कारण क्या है, और

(ग) क्या सरकार इस सम्बन्ध में नियमों में संशोधन करने की सोच रही है और यदि हां, तो क्या-क्या ?

†[RIFLE TRAINING IN RIFLE CLUBS

60. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether rifle training in Rifle Clubs to such members of the families of the arms licence holders who do not hold any licences is prohibited;

†[ ] English translation.